

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1089—पीबीआर/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-3-2017 पारित द्वारा तहसीलदार, पिपलौदा जिला रतलाम प्रकरण क्रमांक 15/अ-6/2016-17.

बसंतीलाल पिता रामेश्वर पाटीदार
निवासी ग्राम मुचुन
तहसील व जिला रतलामआवेदक

विरुद्ध

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1— बलराम पिता बद्रीलाल पाटीदार |अनावेदकगण |
| 2— रामेश्वर पिता नंदा पाटीदार | |
| निवासीगण ग्राम मुचुन | |
| तहसील पिपलौदा जिला रतलाम | |

श्री राजेश बाथम, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक ७/११/२०१८ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, पिपलौदा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

- 2/ प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 बलराम द्वारा ग्राम मुचुन स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 791 रकबा 0.10 हेक्टेयर पंजीकृत विक्य पत्र के माध्यम से क्य की जाकर नामान्तरण हेतु संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार पिपलौदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-6/2016-17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि विकीत भूमि के सम्बन्ध में हुए बटवारा आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में निरस्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में संयुक्त भूमि का विक्य करने का अधिकार एक सहखातेदार को नहीं था और प्रश्नाधीन

भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः कार्यवाही स्थगित की जाये। तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-3-2017 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसीलदार द्वारा केता एवं विकेता के बिना कथन कराये सीधे आपत्ति निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जिसका संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत एक बार बटवारा हो चुका है, जिसमें अनियमितता होने के कारण उक्त बटवारा आदेश निरस्त हो चुका है, किन्तु बटवारा प्रकरण की भूमियां बटवारा के अधीन हैं, और विधिवत बटवारा होना है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी कमांक 1 का नामान्तरण किया जाना अवैध होगा।

(3) बटवारा आदेश दिनांक 29-9-2007 निरस्त हुआ है, न कि बटवारा प्रकरण। प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद विचारधीन है और व्यवहार वाद लम्बित होने के कारण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत भूमि का अन्तरण नहीं किया जा सकता है।

(4) पश्चातवर्ती विक्रय वाद के लम्बित रहते किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि नामान्तरण कार्यवाही नहीं रोकी गई तो प्रकरण में अनावश्यक वाद बाहुल्यता होगी।


(5) व्यवहार न्यायालय से खत्त्व का निराकरण हो जाने के पश्चात ही अन्तरण की कार्यवाही की जानी चाहिए, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 द्वारा अनावेदक कमांक 1 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की गई है, अतः पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करने में तहसीलदार द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं होने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित नहीं करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जिस बिन्दु पर अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, वह बिन्दु अन्तिम आदेश पारित करते समय निर्णीत करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिकता की गई है। उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुए आवेदक की ओर से जो बिन्दु उठाये गये हैं, उन पर विचार कर अन्तिम निर्णय लेवें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, पिपलौदा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 1090-पीबीआर/17 (बसन्तीलाल पिता रामेश्वर पाटीदार विरुद्ध कैलाशीबाई पति बद्रीलाल पाटीदार तथा एक अन्य) एवं निगरानी 1091-पीबीआर/17 बसन्तीलाल पिता रामेश्वर पाटीदार विरुद्ध महेश पिता चम्पालाल पाटीदार तथा एक अन्य) पर भी लागू होगा। अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।



(मनोज गेंकवड)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर